भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 883
दिनांक 04 दिसंबर 2025

पेट्रोल पंपों पर गड़बड़ी रोकने के उपाय

†883. **श्री परषोत्तमभाई रुपालाः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से कुछ पेट्रोल पंपों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसिंग मीटरों में हेराफेरी करके उपभोक्ताओं को उनके भुगतान की तुलना में कम ईंधन उपलब्ध कराने की गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर, विशेष रूप से कुछ राज्य एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन में ढिलाई को देखते हुए, पेट्रोल पंपों पर स्थापित पेट्रोलियम मात्रा माप उपकरणों के निरीक्षण को कड़े बनाने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार नियमित रूप से आयातित कच्चे तेल की खेपों की मात्रा का निरीक्षण करती है और यदि हां, तो संबंधित एजेंसियों को सम्मिलित करते हुए ऐसे सत्यापन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओ) डीलरशिप पर कम डिलीवरी समेत अनियमितताओं या कदाचार को रोकने के लिए विपणन अनुशासनात्मक दिशानिर्देश (एमडीजी) बनाए और लागू किए हैं। एमडीजी दिशानिर्देशों और डीलरशिप समझौते के अनुसार, अनियमितताएं पाए जाने पर गलती करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एमडीजी दिशानिर्देश वेबसाइट: https://iocl.com/marketing-discipline-guidelines पर उपलब्ध हैं।

ओएमसीज़ ने यह भी सूचित किया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्पेंसिंग मीटर में गड़बड़ी को रोकने के लिए, वे विधिक मेट्रोलॉजी नियमों के अनुसार मीटरिंग यूनिट की सटीकता वर्ग वाली डिस्पेंसिंग यूनिट्स (डीयूज़) की अधिप्राप्ति करते हैं और संस्थापित करते हैं। इन डीयूज़ में लेखा परीक्षा परीक्षण सहित नवीनतम सुरक्षा विशेषताएं हैं जो डीयू से सही मात्रा में ईंधन का वितरण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं और ये भविष्य में निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, सभी नए डिस्पेंसर प्रतिमान को आरओज़ में लगाने से पहले सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (सीडीएसी) में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की समग्रता और सुरक्षा की विशेषताओं के लिए बड़े पैमाने पर जांच की जाती है।

इसके अलावा, वजन एवं माप विभागों द्वारा समय-समय पर डीयूज़ को कैलिब्रेट और सीलबंद किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में ईंधन दिया जाना और डिस्पेंसिंग इकाईयों से छेड़छाड़ को टाला जाना सुनिश्चित किया जा सके।

ग्राहक आरओज़ पर मौजूद कैलिब्रेटेड 5 लीटर मापक की मदद से ईंधन स्टेशनों पर वितरित किए जा रहे उत्पादों की मात्रा की जांच भी कर सकते हैं।

विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम के तहत अधिकार प्राप्त राज्य विधिक माप विज्ञान प्राधिकरण, आरओज़ पर औचक निरीक्षण और विशेष अभियान चलाते हैं। ओएमसीज़ निरीक्षण में मदद करके और राज्य विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रभावी रुप से प्रवर्तन में मदद करके इन प्राधिकरणओं को पूरा सहयोग करती हैं।

(ग) आयातित क्रूड ऑयल की आयतन और मात्रा सीमा शुल्क अधिनियम, पेट्रोलियम नियमों और स्थापित समुद्री सर्वेक्षण प्रक्रिया के हिसाब से सत्यापित किए जाते हैं।

*****